न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 5/2022

उनवान

1. छीतर पुत्र सुवा जाति रेगर, नि0 ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
  –– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. झमकू पत्नी हरलाल
2. भोला पुत्र हरलाल जाति गुर्जर नि0 ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
  –– अप्रार्थीगण :– 3 जरियें राज0 पैरोकार
  1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 25.5.22

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 3879/4469 रकबा 0.47, 3880 रकबा 0.10, 3881 रकबा 0.02 की आराजी प्रार्थी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 3911 का उपयोग करते है। उक्त रास्ता उत्तर से दक्षिण को जाता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। हाल खसरा नम्बर 3911 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का है।

अतः प्रार्थी को खसरा नम्बर 3911 रकबा 0.71 में से 30 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। अपार्थी संख्या 1 से 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 3879/4469 रकबा 0.47, 3880 रकबा 0.10, 3881 रकबा 0.02 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 3842 रास्ता है जो कि राजस्व अभिलेख में गै0मु0 पाल है। खसरा नम्बर 3911 में से आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी के खेतों में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 3883, 3909/4471, 3906 व 3873, 3870 में से होकर भी रास्ता जाता है। मौके पर खसरा नम्बर 3911 में पत्थरो कि कच्ची दीवार है। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी का कोई रास्ता नहीं है। न ही प्रार्थी द्वारा रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय व्यय खारिज किया जाय है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 3879/4469 रकबा 0.47, 3880 रकबा 0.10, 3881 रकबा 0.02 की आराजी प्रार्थी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 3911 रकबा 0.71 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी है जो राजस्व अभिलेख में भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के लिये हाल खसरा नम्बर 3911, 3914 व 3914/4470 में से भूमि ली जानी है। उक्त तीनो खसरा नम्बर से भूमि लिये जाने के बाद ही प्रार्थी के खसरा नम्बर 3879/4469 रकबा 0.47, 3880 रकबा 0.10, 3881 रकबा 0.02 पर पहुचा जा सकता है। खसरा नम्बर 3911 व 3914 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 3914/4470 अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मात्र खसरा नम्बर 3911 में से ही रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 3914/4470 के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार भी नही बनाया है। जबकि प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी को तीनो खसरा नम्बर में से भूमि की आवश्यकता है। खसरा नम्बर 3914/4470 के खातेदारों को सुनवाई के बिना प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। अपूर्ण पक्षकार से बाधित प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी करना भी न्यायोचित नही है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:38 IST
Reason: SelfAttested